पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 29

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाकर बजट आबंटन नीचे दी गई है;

(करोड़ रुपए)

		बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1031.00	7.56	1038.56	1031.00	7.36	1038.36	1031.25	8.92	1040.17
पूंजी		*154.00*	*2.14*	*156.14*	*154.00*	*4.76*	*158.76*	*55.00*	*3.56*	*58.56*
जोड़		**1185.00**	**9.70**	**1194.70**	**1185.00**	**12.12**	**1197.12**	**1086.25**	**12.48**	**1098.73**
1. *सचिवालय सेवाएं*										
1.1 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	2.77	2.77	...	2.77	2.77	...	3.25	3.25
1.2 पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय	2070	...	4.79	4.79	...	4.59	4.59	...	5.67	5.67
	जोड़	*...*	*7.56*	*7.56*	*...*	*7.36*	*7.36*	*...*	*8.92*	*8.92*
2. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	2552	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00
	3601	301.50	...	301.50	301.50	...	301.50	296.50	...	296.50
	7601*	33.50	...	33.50	33.50	...	33.50	...	...	...
	जोड़	*445.00*	*...*	*445.00*	*445.00*	*...*	*445.00*	*406.50*	*...*	*406.50*
3. आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	4552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
4. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
5. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम को आयोजना-भिन्न ऋण	6851	...	2.14	2.14	...	4.76	4.76	...	3.56	3.56
6. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) को अनुदान	2885	24.50	...	24.50	24.50	...	24.50	22.33	...	22.33
7. केन्द्रीय पूँजी निवेश योजना	2885	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
8. केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	2885	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से अनुदान	3601	585.00	...	585.00	585.00	...	585.00	585.00	...	585.00
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से ऋण	7601*	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	...	...	...
11. विज्ञापन और प्रचार	2250	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
12. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	2250	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	12.40	...	12.40
13. अन्य कार्यक्रम	4552	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
कुल जोड़		***1185.00***	***9.70***	***1194.70***	***1185.00***	***12.12***	***1197.12***	***1086.25***	***12.48***	***1098.73***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
4.01. सिक्किम खनन निगम लि0	12853	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
जोड़		**0.50**	**...**	**0.50**	**0.50**	**...**	**0.50**	**...**	**...**	**...**
ग. योजना परिव्यय										
1. अलौह खनन एवं धातु उद्योग	12853	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
2. औद्योगिक वित्तीय संस्थायें	12885	24.50	...	24.50	24.50	...	24.50	22.35	...	22.35
3. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	17.40	...	17.40
	जोड़	*35.00*	*...*	*35.00*	*35.00*	*...*	*35.00*	*39.75*	*...*	*39.75*
राज्य योजनाएं										
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	43601	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	461.50	...	461.50
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल	43601	650.00	...	650.00	650.00	...	650.00	585.00	...	585.00
	जोड़	*1150.00*	*...*	*1150.00*	*1150.00*	*...*	*1150.00*	*1046.50*	*...*	*1046.50*
जोड़		**1185.00**	**...**	**1185.00**	**1185.00**	**...**	**1185.00**	**1086.25**	**...**	**1086.25**

* *ब.अ. 2005-06 के मु.शी. 7601 के तहत प्रावधान के संबंध में, कृपया मांग सं. 36-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अन्तरण में मद सं. 8 देखिए।*

Website: http://indiabudget.nic.in

1.1 यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के व्यय के लिए है।

1.2 यह प्रावधान पूर्वोत्तर परिषद के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम,1971 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों का एकीकृत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। परिषद का मुख्यालय शिलांग में है।

3. यह कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया जाता है जो निर्माण कार्य करता है तथा चालू सड़क स्कीमों को पूरा करने की ओर भी ध्यान केंन्द्रित करता है।

5. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की स्थापना मार्च, 1977 में की गई थी ताकि उत्पादों के लिए विकासात्मक एवं प्रौन्नत इनपुटस और डिजाइन विकास, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकीयों का दर्जा बढ़ाने और क्षेत्र के तैयार उत्पादों को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी बेचने की व्यवस्था की जा सके। मंत्रालय, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को प्रदर्शनी में भागीदारी आदि जैसे प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप करते समय होने वाली नकद हानियों को पूरा करने के लिए ऋण मुहैया कराता है।

6. एन.ई.डी.एफ.सी. लि. का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 9 अगस्त, 1995 को किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी में है। एन.ई.डी.एफ.सी. लि. का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक, आधारभूत ढांचा तथा बागवानी परियोजनाओं की पहचान कर उनका वित्तपोषण तथा देख-रेख कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह आयोजना परियोजना दसवीं योजना अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपए की दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराती है। इसमें वर्ष 2005-06 के दौरान एनईडीएफसी को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए प्रावधान है।

7. यह प्रावधान उत्पादन केन्द्रों में स्थित उद्योगों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य अभिज्ञात क्षेत्रों एवं सिक्किम में नए औद्योगिक एककों के सब्सिडी देने के लिए है।

8. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में नए औद्योगिक एककों को एकक के एक बार उत्पादन शुरू कर देने के बाद, सब्सिडी देने के लिए हैं।

9 और 10 केन्द्रीय संसाधन पूल का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय सहायता के प्रवाह में वृद्धि कर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में आधारभूत ढाँचे के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए है जिसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

11. यह व्यवस्था क्षेत्र की क्षमता का प्रदर्शन करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा मंत्रालय के क्रियाकलापों के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने के लिए है।

12. परियोजना निर्माण, परियोजना मॉनीटरिंग और मूल्यांकन इत्यादि में इस क्षेत्र में राज्यों की संस्थागत क्षमता संबंधी बाधाओं का क्षमता निर्माण हेतु बजटीय प्रावधानों के जरिए समाधान किए जाने की संभावना है। यह प्रावधान एनएलसीपीआर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पूरक वित्तपोषण और परियोजना विकास गतिविधियों के अलावा राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को उनके निष्पादन का स्तर सुधारने के लिए है।

13. यह प्रावधान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि. की मदद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा विमानपत्तनों के सुधार के लिए, और 50 सीटर विमान शुरू करके, पूर्वोत्तर राज्यों में अन्तःक्षेत्रीय सम्पर्क सुविधा मुहैया कराने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।